

अन्तिमडिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल (नागौर)

इजलास - श्री सुनील कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या- 215/2000

वादीगण-

1. चौख सिंह पुत्र किशनाराम के का.मु.
 - 1/1. किशोर सिंह पुत्र चौख सिंह
 - 1/2. मघ सिंह पुत्र चौख सिंह
 - 1/3. विजय सिंह पुत्र चौख सिंह
 - 1/4. सिरै कंवर पत्नि चौख सिंह , जाति दरोगा निवासी डेह तहसील जायल।
बनाम

प्रतिवादीगण -

1. मोहनराम पुत्र जेठाराम के का.मु.
 - 1/1. भवरी पुत्र मोहनराम
 - 1/2. राधा पुत्री मोहनराम
 - 1/3. जमना पुत्री मोहनराम
2. हडमान पुत्र रूपाराम
3. पुखराज पुत्र रूपाराम
 - 3/1. जितेन्द्र सिंह पुत्र पुखराज
 - 3/2. अजीत सिंह पुत्र पुखराज
 - 3/3. अशोक सिंह पुत्र पुखराज
 - 3/4. सुमन पुत्री पुखराज
 - 3/5. सुशीला पुत्री पुखराज
 - 3/6. भवरी पुत्री पुखराज
4. दोलत सिंह पुत्र माधुसिंह
5. फतेह सिंह पुत्र माधु सिंह
6. रेवंत सिंह पुत्र गंगाराम
7. उदय सिंह पुत्र गंगाराम
8. गणपत सिंह पुत्र किशनाराम के का.मु.
 - 8/1. दुर्गाकवर पत्नि गणपत सिंह
 - 8/2. कमला कंवर पत्नी गणपत सिंह
 - 8/3. ओम सिंह पुत्र गणपत सिंह
 - 8/4. गिरधारी सिंह पुत्र गणपत सिंह
 - 8/5. नवरत्न सिंह पुत्र गणपत सिंह
 - 8/6. गीता कंवर पुत्री गणपत सिंह
 - 8/7. राजेन्द्र सिंह पुत्र गणपत सिंह
9. समस्त जातियान दरोगा निवासी डेह तहसील जायल जिला नागौर।
तहसीलदार जायल।



दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 1 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :-

1. श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण।
2. प्रतिवादी संख्या 9 राजपैरोकार उपस्थित

- :: डिक्री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री दशरथ सिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण भिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 9 हाजरी श्री पैरोकार उपस्थित भिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि -

वादी चौख सिंह के विधिक वारिसान को मौजा डेह के खेत ख.न. 1563 रकबा 2.4686 हैक्टेयर मे से रकबा 1.6510 हैक्टेयर उतरी भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष खाता बदस्तुर दर्ज रहे।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

तीज - मुबलिग - बाबत - खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22/09/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराज हुक्मनामा			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(सुनील कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल